संख्या 2 /2018 /2236 /सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊः दिनांक 23जनवरी,2018**

विषय : ब्लू रिवोल्यूशन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत मार्ग निर्देश/ गाइड लाइन्स में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333) /2016 दिनांक 24.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स निर्गत की गयी है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 24.12.2016 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर-3 एवं प्रस्तर-6 में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार लाभार्थीपरक परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित फण्डिंग पैटर्न अपनाया गया था –

" प्रस्तर-3.....केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई की अधिकतम सीमा के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 25 प्रतिशत सम्बंधित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।"

" प्रस्तर-6 ब्लू रिवोल्यूशन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष लाभार्थीपरक परियोजनाओं में कुल लागत का मैचिंग 25 प्रतिशत राज्यांश तथा 25 प्रतिशत सम्बंधित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं विभागीय परियोजनाओं में कुल लागत का मैचिंग 50 प्रतिशत राज्यांश के माध्यम से व्यय किया जायेगा।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

3- ब्लू रिवोल्यूशन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना हेतु पूर्व में निर्धारित उक्त फण्डिग पैटर्न को भारत सरकार के पत्रांक-27035-19/2015-एफ0वाई0(आईवी) दिनांक 28.09.2017 द्वारा सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अर्न्तस्थलीय एवं समुद्री मत्स्यकीय के लाभार्थीपरक मदों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से अनुदान धनराशि/वित्तीय सहायता के पैटर्न को परिवर्तित करते हुए अब निम्नवत फण्डिग पैटर्न निर्धारित किया गया है-

" परियोजना के कुल अनुदान धनराशि को सीमित करते हुए परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक सामान्य वर्ग तथा 60 प्रतिशत तक कमजोर वर्ग यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाए एवं इनकी समितियों को अनुदान दिये जाने का निर्धारण किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश धनराशि तथा 40 प्रतिशत राज्यांश धनराशि सम्मिलित है। इस प्रकार सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु निर्धारित 40 प्रतिशत कुल अनुदान धनराशि में से 24 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता,16 प्रतिशत राज्यांश का फण्डिंग पैटर्न तथा कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित कुल अनुदान धनराशि 60 प्रतिशत में से 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 24 प्रतिशत राज्यांश का फण्डिंग पैटर्न प्रदेश के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।"

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार की "ब्लू रिवोल्यूशन" योजना के प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु निर्गत गाइड लाइन्स दिनांक 24.12.2016 के प्रस्तर-3 व प्रस्तर- 6 में उल्लिखित वित्तीय सहायता एवं फण्डिंग पैटर्न के स्थान पर भारत सरकार के पत्रांक 27035-19/2015- एफ0वाई0(आईवी) दिनांक 28.09.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "ब्लू रिवोल्यूशन" की लाभार्थीपरक परियोजनाओं हेतु निर्धारित अनुदान धनराशि एवं फण्डिंग पैटर्न के साथ ही भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28.09.2017 में उल्लिखित अन्य निर्देशों को भी प्रदेश में यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- भारत सरकार के सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन-इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत् मार्ग-निर्देश/गाइड लाइन्स उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा शेष प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या- 2 / 2018/ 2236 (1)/ सत्रह-म-2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
4- संयुक्त निदेशक मत्स्य,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक,लेखन एवं मुद्रण सामग्री इलाहाबाद को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- समस्त उप निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
8- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य उ0प्र0।
9- न्याय अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-3।
10-वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।